

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2470]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 21, 2012/अग्रहायण 30, 1934

No. 2470]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 21, 2012/AGRAHAYANA 30, 1934

## कारपोरेट कार्य मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2012

का.आ. 2978(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 637 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) के कार्यक्षेत्र में आने वाली बैंककारी कंपनियों के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक को, इस शर्त के अध्यधीन रखते हुए कि केन्द्रीय सरकार शिक्तयों के ऐसे प्रत्यायोजन को प्रतिसंहत कर सकेगी, या निम्निलिखत धाराओं के अधीन, स्वयं शिक्तयों का प्रयोग कर सकेगी, यदि उसकी राय में लोकहित में ऐसी कार्यवाही आवश्यक हो, उक्त अधिनियम की धारा 338ख, धारा 338ग और धारा 338ङ के अधीन उसमें निहित शिक्तयों का प्रत्यायोजन करती है।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

> [फा. सं. 17/231/2012-सीएल.-वी] रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 2012

S.O. 2978(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 637 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby delegates its powers under Sections 388B, 388C and 388E of the said Act in relation to banking companies falling within the purview of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), to the Reserve Bank of India subject to condition that the Central Government may revoke such delegation of powers or may itself exercise the powers under the said sections, if, in its opinion, such a course of action is necessary in the public interest.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 17/231/2012 - CL-V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.